>

Titile: Need to fill up the vacant posts (Official Language) in Central Secretariat Official Language Service-laid.

श्री अजय मिश्र टेनी (खीरी) : केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग में उप निदेशकों के 86 में से 82 पद वर्षों से रिक्त हैं और शेष 4 पद भी शीघ्र ही रिक्त होने वाले हैं । इस पद पर पदोन्नति के लिए कोई सहायक निदेशक पात्र नहीं है । कारण यह है कि उन्हें 10-11 वर्षों तक तदर्थ (एड-हॉक) रखने के बाद वर्ष 2015 में नियमित किया गया है । इससे उप निदेशक पद के लिए आवश्यक पाँच वर्ष की नियमित सेवा पूरी नहीं हो रही है ।

वर्तमान स्थिति से वर्ष 2008-09 में तदर्थ आधार पर सहायक निदेशक बना व्यक्ति वर्ष 2021 में उप निदेशक के लिए पात्र होगा । इससे अनुवाद कार्य, राजभाषा नीति का कार्यान्वयन और राजभाषा हिंदी के प्रयोग का प्रसार प्रभावित हो रहा है । इसका दुष्परिणाम यह भी होगा कि वर्ष 2019 से रिक्त होने वाले संयुक्त निदेशक के पद वर्ष 2027 में भरे जा सकेंगे तथा नीचे वरिष्ठ अनुवादक भी आगे सहायक निदेशक पद पर पदोन्नत नहीं हो पायेंगे ।

वर्तमान सरकार में हिंदी में कार्य की मात्रा काफी बढ़ी है और हिंदी को देश ही नहीं, अपितु पूरे विश्व में प्रतिष्ठापित करने का है ।

अतः सरकार से निवेदन है कि भर्ती नियमों में सहायक निदेशक से उप निदेशक पद पर पदोन्नति के लिये सहायक निदेशक के पद पर 05 वर्ष की आवश्यक नियमित सेवा के स्थान पर वरिष्ठ अनुवादक पद पर 05 वर्ष व सहायक निदेशक पद पर 03 वर्ष तथा दोनों पदों पर 08 वर्ष की कुल नियमित सेवा को आधार बनाकर उप निदेशक, राजभाषा के रिक्त पदों पर अतिशीघ्र नियुक्ति करने का कष्ट करें, जिससे राजभाषा संबंधी कार्य का प्रसार सरकार की राजभाषा नीति के अनुसार किया जा सके ।